



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2536]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2013/कार्तिक 10, 1935

No. 2536]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2013/KARTIKA 10, 1935

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2013

सं. 86 /2013

[आय-कर]

का.आ. 3307(ई).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 94क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के उद्देश्य के लिए 'अधिसूचित आधिकारिक क्षेत्र' के रूप में 'साइप्रस' को विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 504/05/2003-एफटीडी-1]

विपुल अग्रवाल, अवर सचिव (एफटी एंड टीआर-III)(1)

MINISTRY OF FINANCE
(Department Of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st, November, 2013

No. 86/2013

[INCOME-TAX]

S.O. 3307(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 94A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies 'Cyprus' as the 'notified jurisdictional area' for the purposes of the said section.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 504/05/2003-FTD-I]

VIPUL AGARWAL, Under Secy. (FT & TR-III) (1)